


21.06.2024:-पत्रावली आज अपीलांट अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी मे लिया गया। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया। अपीलांट अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सिहाग द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे निवेदन किया कि अपीलांट व रेस्पॉरेन्ट का मौजूदा व्यक्तियों मे आपस मे राजीनाम करवा दिया गया। है। इसलिए अपीलांट अपने अपील मे कोई कार्यवाही नही चाहते। अपील को इसी स्तर पर खारिज (विद्धो) फरमाया जावे। अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट सख्या 2 व 3 के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गए। अपीलांट की पहचान अपीलांट अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार सिहाग द्वारा की गई। अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर उक्त अपील मौजूदा सूरत मे विद्धा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़